

>

Title:

श्री कनकमल कटारा (बांसवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ। मेरे निर्वाचन क्षेत्र बांसवाड़ा जिले के गढ़ी विधान सभा के उपखण्ड कार्यालय में अवैध लाइसेंस जारी करने का बहुत बड़ा मामला सामने आया है। अध्यक्ष महोदय, उपखण्ड कार्यालय गढ़ी में लंबे समय से अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जी तरीके से अवैध लाइसेंस जारी किए गए हैं, जिसकी संख्या 75/2020 रिकॉर्ड दर्ज हुई है। टोपीदार बंदूकों के लाइसेंस जारी करने के मामले में एक चौंकाने वाला मामला और आया है कि पहले सिस्टम में सैंध लगाकर अवैध लाइसेंसों की बंदरबाँट की गई और बाद में चुनाव के दौरान अवैध हथियारों को बिना किसी रिकॉर्ड के थाने में जमा करवा दिया गया। आचार संहिता के हटने के बाद इन बंदूकों को उनके मालिकों को दे दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 71 बंदूकधारियों के पास लाइसेंस नहीं थे तो आखिर थाने में इन हथियारों को जमा कैसे करवाया गया। इन हथियारों का रिकॉर्ड तक नहीं जांचा गया। हथियारों के रिकॉर्ड जैसे मामलों में भी मिलीभगत द्वारा पुलिस की लापरवाही सामने आ रही है। बड़े तहसीलों में अवैध हथियार होने की संभावनाएं संवेदनशील है।...(व्यवधान)